न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2010
प्रविष्टि दिनांक 26.09.2010

1–बद्री पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2–गोपी पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री तेजमल जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 30.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सौहेला तहसील पीपलू की भूमि ख0नं0 1039 मे से 1700 वर्गमीटर एंव ख0नं0 1040 मे से 700 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 524/09 दिनांक 03.06.2010. एंव 475/09 दिनांक 03.06.2010 को निरस्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि की दर से भूमि का मुआवजा दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अवार्ड पत्रावली 524/09 दिनांक 03.06.2010 एंव 475/09 दिनांक [illegible] तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:37 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1039 मे से कुल रकबा 1700 वर्गमीटर एंव 1040 मे से कुल रकबा 700 वर्गमीटर वाके ग्राम सोहेला मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1/बारानी–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी, प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई नही थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0ं 1039 मे से 1700 वर्गमीटर एंव भूमि ख0नं0 1040 मे से 700 वर्गमीटर,किस्म जमीन बारानी–1/बारानी–2 वाके ग्राम सोहेला का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि की डी0एल0सी0 दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि होने बाबत कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2022 को [illegible] कार्यालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)